कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत रैणी।

पीठासीन अधिकारी श्री सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.

वाद संख्या 12/5/17

अनुवान–गोरधन लाल बैरवा पुत्र श्री ग्यारसी राम जाति बैरवा निवासी रैणी का बास पीलाकी तहसील रैणीः– अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत समिति रैणी जर्ये सरपंच।
2. सरकार जर्ये तहसीलदार रैणीः– रेस्पोडेन्ट

अपील नामान्तकरण

<u>निर्णय दिनांक 02.05.2018</u>

Web Copy - Not Official

आज यह पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रैणी पर पेश हुई। अपीलान्ट द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया कि साबिक खसरा नं0 30, 41 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, 3042 रकबा 19 बिस्वा, 3043 रकबा 13 बिस्वा, 3238 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी मे स्थित है, का पहले खातेदार सुखदेव पुत्र मंगला उर्फ लीला 1/3 हिस्सा, रामहेत पुत्र भज्जा 1/3 हिस्सा व गोरधन पुत्र मनफुल 1/3 हिस्सा चमार सा0 रैणी बास पीलाकी तहसील रैणी खातेदार दर्ज थे। उक्त आराजी मे विरासत का नामान्तकरण संख्या 36 दर्ज किया गया जिसमे रामहेत पुत्र भज्जा के नाम जो 1/3 हिस्सा की आराजी दर्ज रिर्काड थी का 1/2 हिस्सा यानि 1/6 हिस्सा खरीदशुदा आराजी का अपीलान्ट व उसके भाई चेतराम के नाम जर्ये नामान्तकरण संख्या 36 के दर्ज की गई है, जिसमे अपीलान्ट का नाम गोरधन लाल के स्थान पर गौरया दर्ज कर दिया। यह है कि उक्त साबिक अराजी के बन्दोबस्त संवत 2046 मे नये नम्बर 3356, 3397, 3399, से 3436 व 3497 से 3517 तक तथा 3529 खाता संख्या 236 व खसरा नं0 3520, 3521, 3521/7320, 3522, 3523, 3524, 3525, 3528 खाता संख्या 200 वाके ग्राम रैणी कायम किये गये। जिसमे अपीलान्ट व उसके भाई चेतराम की खरीदशुदा 1/6 हिस्से की आराजी में प्रार्थी का नाम गौरया दर्ज कर दिया जो गलत है, उसके बाद जमाबन्दी संवत 2069–72 में प्रार्थी का नाम गौरया के स्थान पर भौरया दर्ज कर दिया जो भी गलत है। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 36 तहसील रैणी को रिमांड कर अपीलान्ट का नाम सही गौरया व भौरया के स्थान पर गोरधन लाल सही दुरूस्त किया जाये।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया। आज पत्रावली कैम्प कोर्ट रैणी पर वास्ते निर्णय पेश हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उपस्थित है उनके द्वारा अपील अपीलान्ट तथ्य सही होने की पृष्टि की तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर व अपीलान्ट का नाम जो रिर्काड मे गौरया व भौरया दर्ज है। इसे दुरूस्त किया जाकर सही नाम गोरधन लाल दर्ज करने पर सहमति दी गई।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट की और से पुष्टि मे प्रस्तुत दस्तावेज नामान्तकरण संख्या 36 वाके ग्राम रैणी, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2046 नकल जमाबन्दी संवत 2049–52, 2069–72, फोटो प्रति राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं फोटो प्रति पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग का भी अवलोकन व निरीक्षण किया गया।

प्रस्तुत रिर्काड से अपीलान्ट का नाम गोरधन लाल पुत्र ग्यारसीराम सही होने की पुष्टि होती है तथा रेस्पोडेन्ट तहसीलदार रैणी व सरपंच ग्राम पंचायत रैणी द्वारा भी अपीलान्ट का सही नाम गौरया व भौरया के स्थान पर गौरधन लाल ही सही होने की पुष्टि की गई है। तथा कैम्प के दौरान उपस्थित ग्रामवासियान से जानकारी करने पर भी गोरधन लाल पुत्र ग्यारसीराम ही अपीलान्ट का नाम सही होने की पुष्टि की गई। इस प्रकार उक्तानुसार तथ्यो के आधार पर व दस्तावेज के आधार पर अपीलान्ट का सही नाम गोरधन लाल पुत्र ग्यारसीराम सही होना पाया जाने के कारण अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश है कि

अपील अपीलान्ट नामान्तकरण संख्या 36 वाके ग्राम रैणी हाल खसरा नम्बर 3356, 3397, 3399, से 3436 व 3497 से 3517 तक तथा 3529 खाता संख्या 236 व खसरा नं0 3520, 3521, 3521/7320, 3522, 3523, 3524, 3525, 3528 खाता संख्या 200 वाके ग्राम रैणी स्वीकार की जाती है। हाल रिर्काड जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम जो उक्त आराजी के 1/6 हिस्से मे भौरया, चेतराम पुत्र ग्यारसा अन्य खातेदारो के साथ दर्ज है मे से भौरया का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर गोरधन लाल दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार रैणी को दिये जाते हैं। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। निर्णय प्रति तहसीलदार रैणी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट रैणी तहसील रैणी पर सुनाया गया।

(सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत रैणी